


10



रक्षा लेखा नियंत्रक(सेना)

CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS (ARMY)

बेल्वेडियर परिसर, आयुध पथ, मेरठ छावनी - 250001

Belvedere Complex, Ayudh Path, Meerut Cantt – 250001

Email id: hindicellcda.dad@nic.in



“हर काम देश के नाम”

केवल ई-मेल एवं वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित

मं.प्रशा./हिं.क./8038/न.रा.का.म.

दिनांक: 18.03.2024

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,

मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग एवं

संगठन के सभी अधीनस्थ कार्यालय

विषय: हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष-2024

संदर्भ: रक्षा मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग का परिपत्र फा. सं.-13(1)/2024-रक्षा.(रा.भा.1)

रक्षा मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग का परिपत्र फा. सं.-13(1)/2024- रक्षा.(रा.भा.1) आपको अनुपालनार्थ प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक:- 1. उपर्युक्तानुसार

३ X X

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (रा.भा.)

प्रतिलिपि:- सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली- III (स्थानीय)

- वेबसाइट के राजभाषा कोना में अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (रा.भा.)

15/03/24

१५/०३/२४

फा. सं. 13(1)/2024-रक्षा (रा.भा.1)

रक्षा मंत्रालय

राजभाषा प्रभाग

जी १५/०३.

परिपत्र

विषय :- हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2023.

15/03/24
वा. १५/०३/२४

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिनांक 02 फरवरी, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011 द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष 2023 के लिए दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों आमंत्रित की जाती है।

Hindi

उपर्युक्त पुरस्कार योजना के लिए सभी इच्छुक अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यतः पूरे भरे हुए) के साथ दिनांक 31 मई, 2024 तक उपनिदेशक (का.), कार्यालयन-2, अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, वी विंग, चतुर्थ तल, एनडी.सी.सी.-2 भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 भेजें।

इस योजना संबंधित अन्य जानकारी के लिए इस परिपत्र के साथ संलग्न राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लें।

यह सदस्य सचिव महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

३२४

(दिपाली प्र. चव्हाण)
निदेशक (राजभाषा)


संलग्न :- यथोपरि

प्रतिलिपि :-

- मंत्रालय के सभी विभागों/अनुभागों/अंतर मेवा संगठनों तथा सभी रक्षा उपक्रम
- प्रमुख आई.टी. प्रभाग को इस अनुरोध के साथ की कृपया इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- सभी सूचनापट
- गार्ड फाइल

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), विभाग के प्रधान निजी सचिव।



धारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग(का.-2)

दो दिंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 02 फरवरी, 2024

कार्यालय जापन

विषय :- हिंदी में भौतिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2023

राजभाषा हिंदी को नक्शा देने तथा भौतिक रूप से राजभाषा हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 22/06/2023 के अनुसरण में “राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना” के अंतर्गत निम्नलिखित चार क्षेत्रियों में (01.01.2023 से 31.12.2023 के दौरान प्रवर्तित) पुस्तकों के आनंदित की जाती हैं।

1. भारत के नानरिकों के लिए “हिंदी में भौतिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना” के अंतर्गत पुस्तकों निम्नलिखित विषयों पर लिखी हो सकती हैं:-

- इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा सनसान्धियक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रटूषण आदि।(प्रपत्र-1)
- न्यायालयी विज्ञान, गुलिस अनुसंधान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि।(प्रपत्र-2)
- संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि।(प्रपत्र-3)
- विधि के क्षेत्र में हिंदी में भौतिक पुस्तक लेखन।(प्रपत्र-4)

2. पुरस्कार

पुरस्कार की क्रीड़ी	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
क.	प्रथम पुरस्कार (एक) द्वितीय पुरस्कार (एक) तृतीय पुरस्कार (एक)	₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न ₹ 1,25,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न ₹ 75,000/- (पचास हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ख.	प्रथम पुरस्कार (एक) द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

ग.	संस्कृति धर्म कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन तथा राजभाषा गैरेक प्रस्ताव।	प्रथम पुरस्कार (एक) द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा रन्धन/चिह्न ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
घ.	विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गैरेक पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक) द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

3. पात्रता : भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।

4. उपर्युक्त योजना के लिए सामान्य शर्तें:

- पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्म भरा जाए।
- योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं। लेखक पुस्तक के विषय के अनुसार उचित प्रोफार्म का चयन करते हुए ही उपर्युक्त प्रविष्टियाँ भेजें।
- किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकों पात्र नहीं होंगी। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- योजना के अंतर्गत 01.01.2023 से 31.12.2023 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों स्वीकार्य हैं।
- पुस्तक विषय के बारे में सभीकान्तङ्क विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। विभागीय मंत्रालय, पो.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी।
- लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
- यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सहलेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सहलेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जाएगी।
- पुस्तक का जम 100 पृष्ठों की हो।
- यदि सूत्यांकन समिति इस विष्कार्य पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के यात्र्य नहीं है तो इस रांबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।
- केवल दो पुस्तकों जिन पर ISBN होंगा, योजना के अंतर्गत शामिल की जाएगी।

5. प्रविष्टि भेजने की विधि :

- प्रविष्टियाँ अनुलेखन में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यतः पूरे करे हुए) के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियाँ भेजें। पुस्तक की विषय की आंकड़ी।
- एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है। प्रविष्टियाँ 31 मई 2024 तक राजभाषा विभाग ने पहुंच जानी चाहती हैं।

6. पुस्तकों को मूलभूत फल प्रक्रिया:

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अन्तर पर लब्ध-प्रतिक्रिया
विद्वानों/विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है।

7. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण:

- पुरस्कार के बारे में निर्देश के अनुनाम सही पुरस्कार वितरण की दृष्टि द्वारा भी जाएगी तथा विभाग
की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी।
- पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित होने वाला किया जाएगा।

8. सामान्य सूचना:

- पुरस्कार प्रदान किए जाने अवश्य पुरस्कार के लिए पुस्तक जायज की प्रक्रिया के बारे में कोई पर-
व्यवहार लहीं किया जाएगा।
- पुरस्कार वितरण के लिए नियम स्थान से लाहर से अपर हुए पुरस्कार विजेताओं को अन्ने-जाने के लिए
रेल या दृवीरीय क्षेत्री (वातानुकूलित) का किराया तथा भारत सरकार के लियाँ के अनुसार दैनिक
भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।
- योजना के बारे में सूचना विभाग की वेबसाइट <http://rajbhasha.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

9. प्रविण्ट भेजने का पता:

उप निदेशक (का.)
कार्यालय-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'दी' विंग, अनुरोध तल, एन.डी.सी.सो.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
फोन- 011-23438143
011-23438046

आगाम कुमार

(अनिल कुमार)

उप सचिव (का.)

दूरभास 011-23438046

प्रति:-

- निदेशक, जन-संघक (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना
के संबंध में प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समुचित सूचना परिचालित करें।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- निदेशक, केन्द्रीय अगुवाव अधूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, अन्तर्राष्ट्रीय भवन, सी.जी.ओ.
कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी
शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें।
- संसदीय राजभाषा समिति, 11. तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
- राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का. जा. को विभाग की वेबसाइट पर
उपलब्ध करा दें।
- राजभाषा विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को अपने क्षेत्र
स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, दंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व
आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यालयन समितियों के
ला दें।

अभिलाषा मिशन
उप निदेशक (का.)

09122011